

कामालिप अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा (बोकारो)

विविध काद सं 42/2024-25

सोहन मण्डल वनाम अंचल अधिकारी,

तिथि

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अनुचित

24/01/25

आवेदक सोहन मंडल, मौजो
तेखो, चान-चन्द्रपुरा जिला-बोकारो
द्वारा आवेदन देकर प्रार्थित किया
गया है कि उनकी पत्नी सोहनी
देवी के नाम से रवाता सं 149, 214
एवं प्लॉट नं- 6878, 4846 है,
जिलका कुल रकबा 34 1/2 बीघा है,
जो ऑनलाईन में दर्ज है, किन्तु
रवाता सं 214 ऑनलाईन दर्ज नहीं
है। आवेदक द्वारा रवाता संख्या 214
ऑनलाईन एमाकेंडी दर्ज कराने का
अनुरोध किया गया है।

आवेदक के आवेदन के आलोक
में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल
निरीक्षक के जांच कराई गई। राजस्व
उप निरीक्षक-सह-जमाये अंचल
निरीक्षक द्वारा प्रतिक्रिया किया गया
है कि मौजा-तेखो उपखण्ड रवाता सं-
214, प्लॉट नं- 6878 तथा रवाता सं-
149 प्लॉट नं- 4846 हैमती वाले की है।

केवाला सं 5452 दिनांक 02-08-2004
के द्वारा 34 1/2 डी. मी. की गई है।
उक्त मी. नावल - खाज के सं. नं०-
348/2008-09 के द्वारा स्वीकृत होकर
मौलिक पंजी-11 एवं ऑन लाइन पंजी-12
के माता सं. 18 पूर्व सं. 98 में दर्ज होकर
लगातार 2 वी. डी. किया है। उक्त मी. ऑन लाइन पंजी-12 के लता सं. 149 दर्ज
है, परन्तु लता सं. 214 दर्ज नहीं है।
इन्होंने केवाला के आधार पर लता नं०-214
दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।

राजस्व उप. निरीक्षक - सहायक
ऑन लाइन निरीक्षक से प्राप्त जॉन प्रविडेन्स
के आधार पर आवेदन को उपरोक्त मी.
के लक्ष्यित मूल राजस्व कार्यालयों
के साथ दिनांक 07/02/25 को 11-30
वजे प्रकट में कलहस्तकारी के कार्यालय
में उपस्थित होने हेतु निर्देश किया
है।

अतिलेख दिनांक 07/02/25 को रखे।

अमल अमल
महसुल।

07/02/25

अभिलेख उपस्थापित /

आवेदक सादर मंडल उपस्थापित /

आवेदक द्वारा प्रस्तुत गूगल से संबंधित दस्तावेज
केवल सं 5452 दिनांक 02.08.2006 तथा का का
केस सं 348/2008-09 की प्रती के साथ Manual
नगर रसीद सं 315597 वर्ष 2008-09 प्रस्तुत
किया गया / उक्त सभी दस्तावेज में मौजूद तथ्यों
के खता सं 149 एवं 214 खता 34 1/2 डी
रोहनी देवी के नाम अंकित हैं और पंजी-ए
के पृष्ठ सं 98/18 में भी जमावती दार रोहनी
देवी के नाम से जमावती दर्ज है, जिसमें
खता सं 149 एवं 214 अंकित हैं। सं 34 1/2 डी
सह-प्रवर्ती मंत्रालय निरीक्षक के जॉन प्रमोशन में
भी खता में सुधार हेतु अनुमोदन प्राप्त है।
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में केवल सं
5452 तथा भुवि पत्र के आलोक में Online पंजी-ए
में विमान सुधार हेतु ~~अनुमोदन~~ आदेश पारित किया
जाता है।

खता सं	लॉट सं	रकम
149	4846	0.08 रु.
214	6878	0.26 1/2 रु.

उक्त आदेश का अनुपालन हेतु का उपरि लिखित
प्रवर्ती मंत्रालय निरीक्षक को सूचित करें।
अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

07/02/25